[2019] 3 उम. नि. प. 155

विजय कुमार जैन

बनाम

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और अन्य

[2018 की सिविल अपील सं. 8430]

31 जनवरी, 2019

न्यायमूर्ति रोहिंटन फाली नरीमन और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) – धारा 21, 24, 25 और 30 [सपठित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 का विनियम 21, 24, 36, 37 और 39] – दिवाला समाधान योजनाएं – समाधान वृत्तिक द्वारा निगमित ऋणी के निलंबित निदेशक बोर्ड को लेनदारों की समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अन्य दस्तावेजों के साथ समाधान योजनाओं की प्रतियां उपलब्ध न कराया जाना – चूंकि निलंबित निदेशक बोर्ड के सदस्यों को लेनदारों की समिति द्वारा आयोजित प्रत्येक बैठक में भाग लेने और समाधान योजनाओं पर चर्चा करने का अधिकार है, इसलिए, उन्हें बैठक में अपने हितों की रक्षा करने के लिए प्रभावी रूप से टीका-टिप्पणी करने हेतु ऐसी बैठकों की सूचना के साथ अन्य "दस्तावेजों" के भाग के रूप में सभी समाधान योजनाओं की प्रतियां दिया जाना भी अपेक्षित है ।

अपील के तथ्यों के अनुसार, रूचि सोया इंडस्ट्रीज लि. - निगमित ऋणी को तारीख 6 जनवरी, 1986 को निगमित किया गया था । कथित रूप से यह तिलहन के प्रसंस्करण और खाद्य उपयोग के लिए कच्चे तेल को परिष्कृत करने के कारबार में लगी एक लाभ-कमाने वाली कंपनी है । सितम्बर, 2017 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लि. और डीबीएस बैंक लि., जो पूर्वोक्त निगमित ऋणी के वित्तीय लेनदार हैं, द्वारा कपनी याचिका सं. 1371 और 1372 फाइल की गई थी । राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

द्वारा ये दोनों कंपनी याचिकाएं क्रमश: 8 और 15 दिसम्बर, 2017 को ग्रहण की गई थीं । अरनेस्ट एंड यंग के श्री शैलेन्द्र अजमेरा को दोनों याचिकाओं में अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त गया था । दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इसे आगे संक्षेप में "दिवाला संहिता" या "संहिता" कहा गया है) की धारा 21 के अधीन लेनदारों की समिति गठित की गई थी और अपीलार्थी को निलंबित निदेशक बोर्ड का सदस्य होने के नाते तारीख 12 जनवरी, 2018 को आयोजित लेनदारों की समिति की प्रथम बैठक के लिए सूचना और कार्यसूची दी गई थी और पूर्वोक्त बैठक में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात किया गया था । लेनदारों की समिति की पश्चात्वर्ती बैठकें आयोजित की गई थीं, जिनमें उसे भाग लेने से मना कर दिया गया था । परिणामस्वरूप, अपीलार्थी ने तारीख 7 जून, 2018 को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष 2018 का प्रकीर्ण आवेदन सं. 518 फाइल किया जिससे कि अपीलार्थी को इन बैठकों में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए अनुज्ञात किया जा सके । राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने तारीख 1 अगस्त, 2018 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को यह स्वतंत्रता देते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि वह लेनदारों की समिति की बैठकों में भाग ले सकता है किंतु न तो समाधान वृत्तिक और न ही लेनदारों की समिति द्वारा गोपनीय समझी जाने वाली जानकारी प्रदान करने की बात पर जोर दे सकता है । अपीलार्थी ने इस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल की, जिसने लेनदारों की समिति की बैठकों में उपस्थित और भाग लेने के अपीलार्थी के अधिकार को तो मान्यता प्रदान की, किंतु कतिपय दस्तावेजों, विशिष्टतया, समाधान योजनाओं तक अपीलार्थी की पहुंच होने की प्रार्थना को नामंजूर कर दिया । तत्पश्चात्, अपील अधिकरण के आदेश के उपांतरण/स्पष्टीकरण के लिए आवेदन को भी खारिज कर दिया गया । अपीलार्थियों द्वारा अपील अधिकरण के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील और एक रिट याचिका फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका और अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – कानूनी स्कीम में यह स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि तत्कालीन निदेशक बोर्ड लेनदारों की समिति के सदस्य नहीं हैं, तो भी

उन्हें लेनदारों की समिति द्वारा आयोजित प्रत्येक बैठक में भाग लेने का अधिकार है और लेनदारों की समिति के सदस्यों के साथ-साथ उन सभी समाधान योजनाओं पर चर्चा करने का भी अधिकार है जो धारा 25(2)(i) के अधीन ऐसी बैठकों में प्रस्तुत की जाती हैं । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रचालन लेनदार, जो ऐसी बैठकों में भाग तो ले सकते हैं किंतु मत देने का अधिकार नहीं है, फिर भी ऐसी समाधान योजनाओं में महत्वपूर्ण रूप से हितबद्ध होते हैं और यदि उन्हें लेनदारों की समिति की बैठकों में प्रभावी रूप से भाग लेना है तो उन्हें पहले से ऐसी योजनाओं की प्रतियां अवश्य दी जानी चाहिए । इसका कारण यह है कि धारा 30(2)(ख) के अधीन, उनके ऋणों का प्रतिसंदाय उनसे संबंधित समाधान योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है जिस पर उन्हें अवश्य टीका-टिप्पणी करनी चाहिए । इसलिए अवेक्षा करने वाली पहली बात यह है कि भले ही प्रचालन लेनदारों जैसे व्यक्तियों को मत देने का अधिकार नहीं है अपितु लेनदारों की समिति की बैठकों में केवल भाग ले सकते हैं, तो भी ऐसी बैठकें आयोजित करने से पूर्व उन्हें समाधान योजनाओं की प्रति दिए जाने का निश्चित रूप से अधिकार है ताकि वे अपने हितों के रक्षोपाय के लिए समाधान योजनाओं पर प्रभावी रूप से टीका-टिप्पणी कर सकें । संहिता की धारा 31(1) से यह स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन निदेशक बोर्ड के ऐसे सदस्य, जो प्राय: प्रत्याभूतिदाता होते हैं, समाधान योजना में महत्वपूर्ण रूप से हितबद्ध होते हैं क्योंकि ऐसी समाधान योजना इसके पश्चात् उन पर बाध्यकारी होती है । ऐसी योजना से मूल ऋणी के ऋण की मात्रा कम हो सकती है और परिणामस्वरूप प्रत्याभूतिदाता के भी ऋण की मात्रा कम हो सकती है, या यह कम न भी हो । हो सकता है समाधान योजना से कतिपय ऋणों की मात्रा कम हो जाए और अन्यों की नहीं और पश्चात्वर्ती प्रकार के ऋणों के प्रत्याभूतिदाता ऋण की संपूर्ण रकम के लिए अरक्षित हो जाएं । विनियमों से यह भी स्पष्ट होता है कि ये व्यक्ति समाधान योजनाओं में महत्वपूर्ण रूप से हितबद्ध होते हैं क्योंकि उनसे उन पर प्रभाव पड़ता है । इस प्रकार, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36 के अधीन, जानकारी ज्ञापन जो लेनदारों की समिति के प्रत्येक सदस्य और किसी संभावित समाधान आवेदक को दिया जाता है,

उसमें उन प्रत्याभूतियों का ब्यौरा अंतर्विष्ट होगा जो निगमित ऋणी के ऋणों के संबंध में दी गई हैं (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधाना प्रक्रिया विनियमों का विनियम 36(2)(च) देखें । भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमों के विनियम 37(घ) के अधीन भी, किसी समाधान योजना में किसी प्रत्याभूति हित की तुष्टि या उपांतरण के लिए उपबंध किया जा सकता है । इसके अंतर्गत निश्चित रूप से प्रत्याभूतिदाता भी आएगा जो तत्कालीन निदेशक बोर्ड का सदस्य हो सकता है । इसके अतिरिक्त, विनियम 37(1)(च) के अधीन, समाधान योजना में लेनदारों को संदेय रकम में कमी करने के लिए उपबंध किया जा सकता है, और इससे भी किसी प्रत्याभूतिदाता के अधिकारों पर महत्वपूर्ण रूप से असर पड़ता है । अंतिम किंतु कम महत्वपूर्ण बात नहीं है, समाधान योजना, जो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश द्वारा अनुमोदित या नामंजूर की गई है, उसे "प्रतिभागियों" को भेजना होता है जिसमें तत्कालीन निदेशक बोर्ड के सदस्य सम्मिलित होंगे – भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमों का विनियम 39(5) देखें । स्पष्ट रूप से, ऐसी प्रति केवल प्रतिभागियों को भेजी जा सकती है क्योंकि वे ऐसी समाधान योजना के परिणाम से महत्वपूर्ण रूप से हितबद्ध होते हैं और व्यथित व्यक्तियों के रूप में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध संहिता की धारा 61 के अधीन अपील अधिकरण में अपील फाइल कर सकते हैं । इससे बिल्कुल अलग, धारा 60(5)(ग) भी बहुत व्यापक है और तत्कालीन निदेशक बोर्ड के सदस्य को भी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को समावेदन करने का स्वतंत्र अधिकार है और उसका यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसी समाधान योजना संहिता की धारा 31 के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करती है तो उसे ऐसे व्यक्ति की अवश्य सुनवाई करनी चाहिए । यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक प्रतिभागी लेनदारों की समिति की प्रत्येक बैठक की सूचना प्राप्त करने का हकदार है । विनियम 21(3)(iii) के अनुसार, बैठक की ऐसी सूचना में बैठक की कार्यसूची के साथ बैठक में चर्चा किए जाने वाले मामले और मतदान किए जाने वाले मुद्दों के लिए सुसंगत सभी दस्तावेजों की प्रतियां अंतर्विष्ट होनी चाहिए । स्पष्ट रूप से, समाधान योजनाएं ऐसी

बैठकों में "चर्चा किए जाने वाले विषय हैं और तत्कालीन निदेशक बोर्ड के सदस्य "प्रतिभागी" हैं जो इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे । "दस्तावेज" अभिव्यक्ति एक व्यापक अभिव्यक्ति है जिसमें निश्चित रूप से समाधान योजनाएं भी सम्मिलित होंगी । विनियम 24(2)(ङ) के अधीन, समाधान वृत्तिक वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य और दृश्य साधनों के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले प्रत्येक प्रतिभागी की हाजिरी लेगा और वह रिकार्ड के लिए यह बताएगा कि उस व्यक्ति को बैठक के लिए कार्यसूची और सभी सुसंगत सामग्री प्राप्त हुई है और इसमें उस बैठक में चर्चा की जाने वाली समाधान योजना भी सम्मिलित होगी । विनियम 35 से यह स्पष्ट होता है कि समाधान वृत्तिक समिति के प्रत्येक सदस्य, संहिता के अनुसार, समाधान योजनाएं प्राप्त होने के पश्चात् ही उचित मूल्य और समाधान मूल्य प्रस्तुत करेगा । [विनियम 35(2) देखें] इसी तरह, विनियम 38(1)(क) के अधीन, समाधान योजना में यह एक विवरण शामिल होगा कि इसमें सभी हित धारकों के हित पर कैसे विचार किया गया है, और उपखंड 3(क) के अधीन, समाधान योजना में यह अभिदर्शित किया जाएगा कि इसमें व्यतिक्रम के कारण का समाधान है । अतः, इस विनियम में भी समाधान योजना तथा व्यतिक्रम के कारण में तत्कालीन निदेशक बोर्ड के महत्वपूर्ण हित को मान्यता दी गई है । इसमें यह उपबंध है कि तत्कालीन निदेशक लेनदारों की समिति को यह अभ्यावेदन कर सकते हैं कि व्यतिक्रम तत्कालीन प्रबंधतंत्र की वजह से नहीं हुआ है, अपितु अन्य ऐसे कारकों के कारण हुआ है जो उनके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं जिनके कारण ऋण का प्रतिदाय नहीं हो सका । अतः, संहिता तथा विनियमों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि तत्कालीन निदेशक बोर्ड के सदस्यों को उन समाधान योजनाओं में महत्वपूर्ण रूप से हितबद्ध होने के कारण, जिन पर लेनदारों की समिति की बैठकों में चर्चा की जा सकती है, उन "दस्तावेजों" के भाग के रूप में जो ऐसी बैठकों की सूचना के साथ प्रस्तुत की जानी होती है, ऐसी योजनाओं की प्रति अवश्य ही दी जानी चाहिए । उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थियों के इन तर्कों को, कि "समिति" और "प्रतिभागी" अलग-अलग रूप में प्रयुक्त हुए हैं जिसका परिणाम यह होगा कि समाधान योजनाएं तत्कालीन निदेशक बोर्ड के सदस्यों को दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, अवश्य नामंजूर किया

जाना चाहिए । इसी प्रकार, विनियम, संहिता के अनुरूप होने के कारण, संहिता के उस सही आशय को स्पष्ट करते हैं जो उन धाराओं, जिन पर पहले ही विचार किया गया है, की स्पष्ट भाषा को पढ़ने से प्राप्त होता है । जहां तक गोपनीय जानकारी का संबंध है, यह स्पष्ट है कि समाधान वृत्तिक गोपनीयता बनाए रखने के लिए तत्कालीन निदेशक बोर्ड के सदस्यों से एक वचनबंध ले सकते हैं, जैसाकि वर्तमान मामले के तथ्यों में लिया गया है । इस शक्ति का स्रोत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक) विनियम, 2016 के साथ पठित इसकी प्रथम अनुसूची का पैरा 21 है । यह वचनबंध अप्रकटन करार के प्ररूप में हो सकता है जिसमें जानकारी पूरी तरह से गोपनीय नहीं रखे जाने की दशा में समाधन वृत्तिक को क्षतिपूर्ति की जा सकती है । लेनदारों की समिति की ओर से धारा 21(2) के परंतुक के आधार पर दिया गया तर्क भी भ्रामक है । धारा 21(2) का परंतुक यह स्पष्ट करता है कि कोई निदेशक जो वित्तीय लेनदार भी है और जो निगमित ऋणी का संबंधित पक्षकार है, उसे लेनदारों की समिति की बैठक में प्रतिनिधित्व करने, भाग लेने या मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा । सभी निदेशक धारा 21(2) के परंतुक की विषयवस्तु नहीं है, अपितु केवल वे निदेशक हैं जो निगमित ऋणी के संबंधित पक्षकार हैं । केवल ऐसे व्यक्तियों को ही लेनदारों की समिति की बैठकों में प्रतिनिधित्व करने का, भाग लेने का या मतदान करने का अधिकार नहीं होता है । अत: यह दलील, कि कोई निदेशक जो एक वित्तीय लेनदार है के समान मात्र निदेशक को भी दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार होता है, ऐसी दलील नहीं है जो धारा 21(2) के परंतुक पर आधारित हो । इसे ठीक प्रकार से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें केवल ऐसे वित्तीय लेनदार का उल्लेख किया गया है जो निगमित ऋणी का संबंधित पक्षकार है । इस कारण से, इस तर्क को भी नामंजूर किया जाना चाहिए । इन सभी मामलों में समाधान आवेदक फिर इसके पश्चात् लेनदारों की समिति की एक बैठक आयोजित करेगा, जिसमें अपीलार्थी प्रतिभागियों के रूप में सम्मिलित होंगे । लेनदारों की समिति फिर नए सिरे से समाधान योजनाओं पर विचार-विमर्श करेगी और अपेक्षित बहुमत से या तो उन्हें नामंजूर करेगी या उनका अनुमोदन करेगी और इसके पश्चात् संहिता और विनियमों में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा । (पैरा 9,

12, 13, 14, 15, 16 और 18)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2018] (2018) 1 एस. सी. सी. 353 :
मोबिलोक्स इन्नोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम
किरुसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ; 5, 11

[2018] 2018 की सिविल अपील सं. 9402-9405,
4 अक्तूबर, 2018 को विनिश्चित :
अरसेलोरमित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम
सतीश कुमार गुप्ता और अन्य । 18

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2018 की सिविल अपील सं. 8430. [इसके साथ 2018 की रिट याचिका (सिविल) सं. 1266]

2018 की कंपनी अपील (अपील अधिकरण) (दिवाला) सं. 442 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के तारीख 9 अगस्त, 2018 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

हाजिर होने वाले पक्षकारों की ओर से सर्वश्री संजय कुमार जैन, अपर महासालिसिटर, कृष्णन् वेणुगोपाल, श्याम दिवान, डा. अभिषेक मनु सिंघवी, कैलाश वासुदेव, ज्येष्ठ अधिवक्तागण, अरविंद कुमार गुप्ता, (सुश्री) हीना जार्ज, जय जावेरी, (सुश्री) सुगंधा, (सुश्री) वी. एस. लक्ष्मी, ए. विनायगम बालन, (सुश्री) सोनिया दूबे, एस. चक्रवर्ती, (सुश्री) कंचन यादव, (सुश्री) सुरभि आनंद, अनुराग सिंह, (सुश्री) हर्षिता वर्मा, (सुश्री) सुगंधा यादव,

मैसर्स लीगल ओपसनस् , नकुल सचदेवा, आकर्षण सहाय, फैसल शेरवानी, रौनक ढिल्लों, (सुश्री) अनन्या धर चौधरी, तरुण अग्रवाल, मैसर्स साइरिल अमरचंद मंगलदास, धूर्व दिवान, (सुश्री) याशना मेहता, रविन्दर निझावन, एस. सस. शरॉफ, (सुश्री) सुनीता शर्मा, प्रशांत सिंह और ए. के. शर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति रोहिंटन फाली नरीमन ने दिया ।

न्या. नरीमन – यह अपील, अपील अधिकरण के उस निर्णय से उद्भूत हुई है, जिसके द्वारा निगमित ऋणी के निलंबित निदेशक बोर्ड के सदस्यों को प्रत्येक मामले में प्रश्नगत दिवाला समाधान योजनाओं सहित सभी सुसंगत दस्तावेज प्रदान करने, जिससे वे लेनदारों की समिति द्वारा आयोजित की गई बैठकों में सार्थक रूप से भाग ले सकें, के लिए समाधान वृत्तिक को निदेश देने की अपीलार्थी की प्रार्थना को नामंजूर कर दिया गया था ।

2. हम 2018 की सिविल अपील सं. 8430 के तथ्यों को ले सकते हैं । रूचि सोया इंडस्ट्रीज लि. - निगमित ऋणी को तारीख 6 जनवरी, 1986 को निगमित किया गया था । कथित रूप से यह तिलहन के प्रसंस्करण और खाद्य उपयोग के लिए कच्चे तेल को परिष्कृत करने के कारबार में लगी एक लाभ-कमाने वाली कंपनी है । सितम्बर, 2017 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लि. और डीबीएस बैंक लि., जो पूर्वोक्त निगमित ऋणी के वित्तीय लेनदार हैं, द्वारा कंपनी याचिका सं. 1371 और 1372 फाइल की गई थी । राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा ये दोनों कंपनी याचिकाएं क्रमश: 8 और 15 दिसम्बर, 2017 को ग्रहण की गई थीं । अरनेस्ट एंड यंग के श्री शैलेन्द्र अजमेरा को दोनों याचिकाओं में अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त गया था । दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इसे आगे संक्षेप में "दिवाला संहिता" या

"संहिता" कहा गया है) की धारा 21 के अधीन लेनदारों की समिति गठित की गई थी और अपीलार्थी को निलंबित निदेशक बोर्ड का सदस्य होने के नाते तारीख 12 जनवरी, 2018 को आयोजित लेनदारों की समिति की प्रथम बैठक के लिए सूचना और कार्यसूची दी गई थी और पूर्वोक्त बैठक में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात किया गया था । उसका यह अभिकथन है, जिसे प्रत्यर्थियों द्वारा विवादग्रस्त किया गया है, कि लेनदारों की समिति की पश्चात्वर्ती बैठकें आयोजित की गई थीं, जिनमें उसे भाग लेने से मना कर दिया गया था । परिणामस्वरूप, अपीलार्थी ने तारीख 7 जून, 2018 को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष 2018 का प्रकीर्ण आवेदन सं. 518 फाइल किया जिससे कि अपीलार्थी को इन बैठकों में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए अनुज्ञात किया जा सके । हमारे समक्ष यह उल्लेख किया गया है कि तारीख 12 अगस्त, 2018 की दसवीं बैठक में अपीलार्थी ने निगमित ऋणी की समाधान योजनाओं को साझा करने के लिए एक अप्रकटन करार निष्पादित किया था । अपीलार्थी ने उक्त करार के अधीन समाधान वृत्तिक की क्षतिपूर्ति करने और समाधान योजना के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है उसे पूरी तरह से गोपनीय रखने का वचन दिया था ।

3. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने तारीख 1 अगस्त, 2018 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को यह स्वतंत्रता देते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि वह लेनदारों की समिति की बैठकों में भाग ले सकता है किंतु न तो समाधान वृत्तिक और न ही लेनदारों की समिति द्वारा गोपनीय समझी जाने वाली जानकारी प्रदान करने की बात पर जोर दे सकता है । अपीलार्थी ने इस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल की, जिसने लेनदारों की समिति की बैठकों में उपस्थित होने और भाग लेने के अपीलार्थी के अधिकार को तो मान्यता प्रदान की, किंतु कतिपय दस्तावेजों, विशिष्टतया, समाधान योजनाओं तक अपीलार्थी की पहुंच होने की प्रार्थना को नामंजूर कर दिया । तत्पश्चात्, अपील अधिकरण के आदेश के उपांतरण/स्पष्टीकरण के लिए आवेदन को भी खारिज कर दिया गया । अपीलार्थियों ने अपील अधिकरण के तारीख 9 अगस्त, 2018 के आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपील फाइल की । इसी बीच, तारीख 23 अगस्त, 2018 को

अदानी विल्मर लिमिटेड की समाधान योजना को लेनदारों की समिति के 98.96% के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया । तारीख 24 अगस्त, 2018 को समाधान वृत्तिक ने न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को लेनदारों की समिति द्वारा यथा अनुमोदित अपनी समाधान योजना प्रस्तुत की । इस न्यायालय ने तारीख 27 अगस्त, 2018 को नोटिस जारी करते हुए एक अंतरिम आदेश में यह उल्लेख किया कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा इस न्यायालय की इजाजत के बिना बोलियों को अंतिमता नहीं दी जाएगी । इस न्यायालय ने तारीख 10 सितम्बर, 2018 को समाधान वृत्तिक द्वारा फाइल किए गए एक आवेदन में यह स्पष्ट किया कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी कार्यवाहियों को जारी रख सकता है किंतु इन पर तब कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है, जब तक कि यह न्यायालय वर्तमान अपील का न्यायनिर्णयन नहीं कर देता है ।

4. अपीलार्थियों की ओर से, हमने श्री श्याम दिवान और श्री अरविंद कुमार गुप्ता को सुना । विद्वान् काउंसेल ने संहिता की धारा 24, 25, 29 और 31 तथा तद्धीन बनाए गए विनियमों को निर्दिष्ट किया । विद्वान् काउंसेल के अनुसार, धारा 24(3) के अधीन समाधान वृत्तिक को निलंबित निदेशक बोर्ड के सदस्यों को लेनदारों की समिति की प्रत्येक बैठक की सूचना देनी चाहिए और विनियम 21 के अधीन, इन बैठकों की सूचना में न केवल बैठकों की कार्यसूची अंतर्विष्ट होगी अपितु बैठक में चर्चा किए जाने वाले विषयों और उन मुद्दों से सुसंगत सभी दस्तावेजों की प्रतियां भी अंतर्विष्ट होंगी जिन पर मतदान किया जाना है । इससे आवश्यक रूप से यह अभिप्रेत है कि निलंबित निदेशक बोर्ड के सदस्यों की इन बैठकों में विचाराधीन समाधान योजनाओं तक पहुंच होनी चाहिए और अन्य सुसंगत दस्तावेज बैठक की सूचना के साथ प्रदाय किए जाने चाहिए । उन्होंने लेनदारों की समिति और लेनदारों की समिति की बैठकों के बीच अंतर किया और यह उल्लेख किया कि क्योंकि वे लेनदारों की समिति की बैठकों में "प्रतिभागी" हैं, भले ही मत देने के अधिकार के बिना, तो भी ये वे व्यक्ति हैं जिन्हें बैठकों में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज अवश्य दिए जाने चाहिए जिससे कि लेनदारों की समिति द्वारा उनके विचारों पर भी विचार किया जा सके । उनके अनुसार, संहिता की धारा 31(1) में यह स्पष्ट किया गया है कि

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा जब एक बार समाधान योजना को पारित कर दिया जाता है, तो यह निगमित ऋणी के साथ-साथ प्रत्याभूति-दाताओं और अन्य पणधारियों पर आबद्धकर होगी । ऐसी स्थिति में, यह स्पष्ट है कि तत्कालीन निदेशक बोर्ड, जिसमें ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने निगमित ऋणी द्वारा उधार लिए गए ऋणों के लिए व्यक्तिगत प्रत्याभूतियां दी हों, समाधान योजना द्वारा आबद्ध होगा और इसलिए लेनदारों की समिति द्वारा अंततोगत्वा जो पारित किया जाता है उसमें उनकी अत्यधिक हिस्सेदारी है । इसके अतिरिक्त, संहिता की धारा 60(5) के अधीन, ऐसे व्यक्तियों को प्रस्तावित समाधान योजना के निबंधनों को अधिकरण के समक्ष चुनौती देने का अधिकार है, और धारा 61 के अधीन, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में भी जा सकते हैं । उन्होंने अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए 2015 की शोधन अक्षमता विधि समिति की रिपोर्ट का अवलंब लिया और उसे निर्दिष्ट किया ।

5. इसके विपरीत, समाधान वृत्तिक की ओर से हाजिर होते हुए डा. अभिषेक मनु सिंघवी और श्री रौनक ढिल्लों ने संहिता की धारा 30(3) और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 39(2) का अवलंब लिया, जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि समाधान योजनाएं केवल लेनदारों की समिति को उनके विचार के लिए दी जाएंगी । उन्होंने यह भी दलील दी कि "समिति" और "प्रतिभागी" शब्दों को विनियमों में अलग-अलग परिभाषित किया गया है और विनियम 39 द्वारा प्रतिभागियों को अभिव्यक्त रूप से अपवर्जित किया गया है । उन्होंने यह भी दलील दी कि यदि विनियमों में से कोई विनियम संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल है तो उन्हें अधिकारातीत होने के कारण विखंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि संहिता की धारा 30(2) के अधीन समाधान वृत्तिक के लिए केवल लेनदारों की समिति को समाधान योजनाएं प्रस्तुत करना अपेक्षित है । उन्होंने संहिता की धारा 24 के खंडों पर टिप्पण का अवलंब लिया, जिनमें, उनके अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि लेनदारों की समिति की बैठकों में निदेशक बोर्ड के भाग लेने का कारण यह होता है कि वे निगमित ऋणी की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने

के लिए जानकारी दे सकें । अतः, उनकी स्थिति अन्य लेनदारों जैसी नहीं है, जो समाधान योजनाओं के गुण-दोषों पर विचार कर सकें क्योंकि ऐसी समाधान योजनाओं का प्रभाव केवल लेनदारों पर पड़ता है न कि ऐसे व्यक्तियों पर । उन्होंने **मोबिलोक्स इन्नोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड** बनाम **किरुसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का इस प्रतिपादना के लिए अवलंब लिया कि खंडों पर टिप्पण ऐसी महत्वपूर्ण संसदीय सामग्री हैं जिनका प्रश्नगत धारा के उद्देश्य को समझने के लिए अवलंब लिया जा सकता है । उन्होंने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक) विनियम, 2016 के विनियम 7(2) के साथ पठित इसकी प्रथम अनुसूची का भी अवलंब लिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि गोपनीय जानकारी केवल सुसंगत पक्षकारों की सहमति से साझा की जा सकती है । इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित समाधान योजना में अंतर्विष्ट गोपनीय जानकारी लेनदारों की समिति के सदस्यों के साथ उनसे विनियमों के अधीन वचनबंध प्राप्त करने के पश्चात् ही साझा की जा सकती है । उन्होंने आगे यह दलील दी कि अपीलार्थी जैसे व्यक्ति व्यथित व्यक्ति नहीं हैं और चूंकि उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए उन्हें संहिता की धारा 60(5) के अधीन कोई आवेदन फाइल करने और धारा 61 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील फाइल करने का अधिकार नहीं है।

6. लेनदारों की समिति की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री कृष्णन् वेणुगोपाल और श्री नकुल सचदेवा ने यह दलील दी कि "जानकारी ज्ञापन" और "समाधान योजना" अलग-अलग परिभाषित हैं और उन पर विचार करने के लिए संहिता और विनियमों में एक विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अधिकथित की गई है । इसलिए उन्हें विनियम 21 के अर्थांतर्गत आने वाले "दस्तावेज" नहीं कहा जा सकता है । उन्होंने भी खंडों पर टिप्पणों का जोरदार रूप से अवलंब लिया और यह उल्लेख किया कि निलंबित निदेशक बोर्ड के सदस्यों की भूमिका जानकारी देने वाले की है न कि जानकारी चाहने वाले की । उन्होंने धारा 21(2) के

---

[1] (2018) 1 एस. सी. सी. 353.

परंतुक का भी अवलंब लिया जिसमें, उनके अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि निदेशक, जो वित्तीय लेनदार भी है, उसे लेनदारों की समिति की बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं है । अत:, संहिता के विभिन्न उपबंधों के सामंजस्यपूर्ण निर्वचन से यह अनियमितता उत्पन्न होगी कि एक निदेशक को तो सर्वथा दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार होगा किंतु एक निदेशक, जो वित्तीय लेनदार है, उसे ऐसा अधिकार नहीं होगा । उन्होंने "समिति" अभिव्यक्ति के विपरीत "प्रतिभागी" अभिव्यक्ति की ओर भी ध्यान दिलाया और यह उल्लेख किया कि विधान-मंडल ने अपनी प्रज्ञा से दोनों अभिव्यक्तियों के बीच भेद किया है । उन्होंने यह उल्लेख किया कि निलंबित निदेशक बोर्ड के सदस्यों को समाधान योजना की प्रति दी जाती है तो इससे गोपनीयता की शर्त का भंग होगा और यह कहा कि यह निलंबित निदेशक बोर्ड के कुछ सदस्यों के हित में होगा जो निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को अभिध्वंस करने का प्रयत्न कर सकते हैं और इस कारण भी समाधान योजनाओं को उनसे छिपाकर रखा जाना चाहिए । उन्होंने यह तर्क दिया कि धारा 61 में उल्लिखित "व्यथित व्यक्ति" आवश्यक तौर पर धारा 60(5) के प्रयोजन के लिए भी व्यथित व्यक्ति निर्दिष्ट होगा, और क्योंकि भूतपूर्व निदेशक बोर्ड के सदस्यों को व्यथित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, इसलिए वे संभवत: धारा 60(5) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को या धारा 61 के अधीन अपील अधिकरण को समावेदन नहीं कर सकते हैं ।

7. सभी पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात्, पहले संहिता के सुसंगत उपबंधों और तद्धीन बनाए गए विनियमों का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है । संहिता के सुसंगत उपबंधों को इसमें नीचे दिया जाता है :-

> "5. परिभाषाएं – इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
>
> * * * *
>
> (10) 'सूचना ज्ञापन' से धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा तैयार किया गया कोई ज्ञापन

अभिप्रेत है ;

* * * *

(26) 'समाधान योजना' से भाग-2 के अनुसार किसी चालू समुत्थान के रूप में निगमित ऋणी के दिवाला समाधान के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित योजना अभिप्रेत है ;

* * * *

"21. लेनदारों की समिति – (1) अंतरिम समाधान वृत्तिक निगमित ऋणी के विरुद्ध प्राप्त सभी दावों का संग्रह और निगमित ऋणी की वित्तीय प्रास्थिति का अवधारण करने के पश्चात् लेनदारों की समिति गठित करेगा ।

(2) लेनदारों की समिति निगमित ऋणी के सभी वित्तीय लेनदारों से मिलकर बनेगी :

परंतु उपधारा 6 या उपधारा (6क) या धारा 24 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट कोई वित्तीय लेनदार या वित्तीय लेनदार का प्राधिकृत प्रतिनिधि यदि वह निगमित ऋणी का संबंधित पक्षकार है, तो उसे लेनदारों की समिति में प्रतिनिधित्व करने का, भाग लेने का या मतदान करने का अधिकार नहीं होगा :

परंतु यह भी कि प्रथम परंतुक वित्तीय सेक्टर के विनियामक द्वारा विनियमिति किसी वित्तीय लेनदार पर तब लागू नहीं होगा, यदि वह दिवाला के प्रारंभ की तारीख से पूर्व निगमित ऋणी का संबंधित पक्षकार केवल ऋण का साधारण शेयरों में या साधारण शेयरों में संपरिवर्तनीय लिखतों के संपरिवर्तन या प्रतिस्थापन के कारण है ।

(3) उपधारा (6) और (6क) के अधीन रहते हुए, जहां निगमित ऋणी द्वारा किसी कंसोर्टियम या करार के भाग के रूप में दो या अधिक वित्तीय लेनदारों को ऋण देय है, तो वहां ऐसा प्रत्येक वित्तीय लेनदार लेनदारों की समिति का भाग होगा और उसके मतदान अंश का अवधारण उसे देय वित्तीय ऋणों के आधार

पर किया जाएगा ।

(4) जहां कोई व्यक्ति, वित्तीय लेनदार के साथ-साथ कोई प्रचालन लेनदार है, वहां –

(क) ऐसे व्यक्ति को उस सीमा तक वित्तीय लेनदार माना जाएगा जहां तक निगमित ऋणी द्वारा वित्तीय ऋण देय है और ऐसे लेनदार के प्रति देय वित्तीय ऋणों की सीमा तक आनुपातिक मतदान अंश के साथ लेनदारों की समिति में सम्मिलित किया जाएगा ;

(ख) ऐसे व्यक्ति को निगमित ऋणी द्वारा ऐसे लेनदार को देय प्रचालित ऋण की सीमा तक प्रचालन लेनदार माना जाएगा ।

(5) जहां किसी प्रचालन लेनदार ने किसी वित्तीय लेनदार को कोई प्रचालन ऋण समनुदेशित किया है या विधिपूर्वक अंतरित किया है वहां ऐसे समनुदेशन या विधिक अंतरण की सीमा तक समनुदेशिती या अंतरिती का प्रचालन लेनदार माना जाएगा ।

(6) जहां वित्तीय ऋण के निबंधनों का कंसोर्टियम, ठहराव या संबद्ध प्रसुविधा के भाग के रूप में एकल न्यासी या अभिकर्ता को सभी वित्तीय लेनदारों के लिए कार्य करने के लिए विस्तार किया जाता है वहां प्रत्येक वित्तीय लेनदार –

(क) न्यासी या अभिकर्ता को लेनदारों की समिति में उसके मतदान अंश की सीमा तक उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ;

(ख) उसके मतदान अंश की सीमा तक लेनदारों की समिति में अपना प्रतिनिधित्व कर सकेगा ;

(ग) उसका लेनदारों की समिति में उसके मतदान अंश की सीमा तक उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वयं की लागत पर किसी दिवाला वृत्तिक (समाधान वृत्तिक से भिन्न) की नियुक्ति कर सकेगा ; या

(घ) उसके मतदान अंश की सीमा तक एक या अधिक वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से मिलकर मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेगा ।

(6क) जहां कोई वित्तीय ऋण –

(क) प्रतिभूतियों या निक्षेपों के रूप में है और वित्तीय ऋण के निबंधनों में सभी वित्तीय लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने के लिए न्यासी या अभिकर्ता नियुक्त करने का उपबंध है, तो ऐसा न्यासी या अभिकर्ता उन वित्तीय लेनदारों की ओर से कार्य करेगा ;

(ख) खंड (क) या उपधारा (6) के अंतर्गत आने वाले लेनदारों से भिन्न उतनी संख्या, जो विनिर्दिष्ट की जाए, से अधिक लेनदारों के किसी वर्ग को देय है, तो अंतरिम समाधान वृत्तिक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सभी वित्तीय लेनदारों की सूची सहित एक आवेदन देगा जिसमें अंतरिम समाधान वृत्तिक से भिन्न एक दिवाला वृत्तिक का नाम उन लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अंतर्विष्ट होगा जिसे लेनदारों की समिति की प्रथम बैठक से पूर्व न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ग) किसी संरक्षक, निष्पादक या प्रशासक द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उन वित्तीय लेनदारों की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा,

और खंड (क) और खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन ऐसा प्राधिकृत प्रतिनिधि लेनदारों की समिति की बैठकों में उपस्थित होगा और प्रत्येक वित्तीय लेनदार की ओर से उसके मतदान के अंश की सीमा तक मतदान करेगा ।

(6ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि को संदेय पारिश्रामिक –

(i) उपधारा (6क) के खंड (क) और (ग) के अधीन, यदि कोई है, वित्तीय ऋण या सुसंगत प्रलेखन के निबंधनों के

अनुसार होगा ; और

(ii) उपधारा (6क) के खंड (ख) के अधीन उतना होगा जो विनिर्दिष्ट किया जाए और वह दिवाला समाधान प्रक्रिया के खर्चे का भाग होगा ।

(7) बोर्ड, उपधारा (6) और (6क) के अधीन आने वाले वित्तीय ऋणों के संबंध में मतदान और मतदान अंश का अवधारण करने की रीति को विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(8) इस संहिता में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, लेनदारों की समिति में सभी विनिश्चय वित्तीय लेनदारों के मतदान अंश के इकावन प्रतिशत से अन्यून किसी मत द्वारा किए जाएंगे :

परंतु जहां किसी निगमित ऋणी के पास कोई वित्तीय लेनदार नहीं है, वहां लेनदारों की समिति का गठन ऐसे व्यक्तियों से किया जाएगा तथा उसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जो ऐसी रीति में ऐसे कृत्यों का प्रयोग करेंगे जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(9) लेनदारों की समिति को निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय निगमित ऋणी के संबंध में कोई वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने के लिए समाधान वृत्तिक से अपेक्षा करने का अधिकार होगा ।"

"**24. लेनदारों की समिति की बैठक** – (1) लेनदारों की समिति के सभी सदस्य वैयक्तिक रूप से या ऐसे इलैक्ट्रानिक माध्यम से बैठक कर सकेंगे, जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) लेनदारों की समिति की सभी बैठकें समाधान वृत्तिक द्वारा आयोजित की जाएंगी ।

(3) समाधान वृत्तिक लेनदारों की समिति की प्रत्येक बैठक की सूचना निम्नलिखित को देगा –

(क) लेनदारों की समिति के सदस्यों को, जिनमें धारा 21 की उपधारा (6क) तथा उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्राधिकृत प्रतिनिधि भी हैं ;

(ख) यथास्थिति, निदेशक बोर्ड के निलंबित सदस्यों या निगमित व्यक्तियों के भागीदारों को ;

(ग) प्रचालन लेनदारों या उनके प्रतिनिधियों को, यदि उनके कुल शोध्यों की रकम ऋण के दस प्रतिशत से कम नहीं है ।

(4) प्रचालन लेनदारों की उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट, निदेशक, भागीदार तथा एक प्रतिनिधि लेनदारों की समिति की बैठकों में उपस्थित हो सकेगा किंतु उसे ऐसी बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा :

परंतु, प्रचालन लेनदारों के, यथास्थिति, ऐसे निदेशक, भागीदार या प्रतिनिधि की अनुपस्थिति से ऐसी बैठक की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी ।

(5) धारा 21 की उपधारा (6), (6क) और (6ख) के अधीन रहते हुए, कोई लेनदार जो लेनदारों की समिति का एक सदस्य है समाधान वृत्तिक से भिन्न किसी दिवाला वृत्तिक को लेनदारों की समिति की किसी बैठक में ऐसे लेनदार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कर सकेगा :

परंतु किसी व्यक्तिगत लेनदार का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे समाधान वृत्तिक को संदेय ऐसी फीस ऐसे लेनदार द्वारा वहन की जाएगी ।

(6) प्रत्येक लेनदार का मत ऐसे लेनदार को शोध्य वित्तीय ऋण के आधार पर उसे समनुदेशित मतांश के अनुसार होगा ।

(7) समाधान वृत्तिक, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में प्रत्येक लेनदार को समनुदेशित मतांश अवधारित करेगा ।

(8) लेनदारों की समिति की बैठकों का संचालन ऐसी रीति में किया जाएगा जो विनिर्दिष्ट की जाए ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

"**25. समाधान वृत्तिक के कर्तव्य** – (1) समाधान वृत्तिक का यह कर्तव्य होगा कि वह निगमित ऋणी की आस्तियों को

परिरक्षित और संरक्षित करे जिसके अंतर्गत निगमित ऋणी के चालू कारबार का प्रचालन भी है ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए समाधान वृत्तिक निम्नलिखित कार्रवाई करेगा, अर्थात् :–

(क) निगमित ऋणी की सभी आस्तियां, जिसके अंतर्गत निगमित ऋणी के कारबार के अभिलेख भी हैं, तत्काल अपनी अभिरक्षा और नियंत्रण में लेना ;

(ख) तृतीय पक्षकारों के साथ निगमित ऋणी का प्रतिनिधित्व और उसकी ओर से कार्य करना, न्यायिक, न्यायिककल्य या माध्यस्थम् प्रक्रियाओं में अधिकारों का प्रयोग निगमित ऋणी के फायदे के लिए करना ;

(ग) धारा 28 के अधीन लेनदारों की समिति के अनुमोदन के अध्यधीन अंतरिम वित्त की व्यवस्था करना ;

(घ) बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रीति में लेखाकारों, विधिक या अन्य वृत्तिकों की नियुक्ति करना ;

(ङ) दावों की अद्यतन सूची का अनुरक्षण करना ;

(च) लेनदारों की समिति की सभी बैठकें आहूत करना और उनमें भाग लेना ;

(छ) धारा 29 के अनुसरण में जानकारी ज्ञापन को तैयार करना :

(ज) समाधान योजना या योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए ऐसे भावी समाधान आवेदकों को आमंत्रित करना, जो ऐसे मानदंड जो उसके द्वारा निगमित ऋणों के कारबार की जटिलता और प्रचालनों के मापमान को ध्यान में रखते हुए, लेनदारों की समिति के अनुमोदन से, अधिकथित किए जाएं और ऐसी शर्तें, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, पूरी करते हैं ;

(झ) लेनदारों की समिति की बैठक में सभी समाधान

योजनाओं को प्रस्तुत करना ;

(ञ) अध्याय 3 के अनुसरण में संव्यवहारों के, यदि कोई हों, परिवर्जन के लिए कोई आवेदन फाइल करना ; और

(ट) ऐसी अन्य कार्रवाइयां करना जो बोर्ड द्वारा विनर्दिष्ट की जाएं ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

"**29. जानकारी ज्ञापन की तैयारी** – (1) समाधान वृत्तिक, किसी समाधान योजना को बनाने के लिए ऐसी सुसंगत जानकारी वाले ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, जानकारी ज्ञापन तैयार करेगा ।

(2) समाधान वृत्तिक, समाधान आवेदक को सभी सुसंगत जानकारी तक पहुंच को भौतिक और इलैक्ट्रानिक प्ररूप में उपलब्ध कराएगा बशर्ते ऐसा समाधान आवेदक निम्नलिखित का जिम्मा लेता है –

(क) गोपनीयता और आंतरिक व्यापार से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों का अनुपालन करना ;

(ख) निगमित ऋणी के किसी बौद्धिक संपदा की संरक्षा करना जो उसकी पहुंच में हो ; और

(ग) जब तक इस उपधारा के खंड (क) और खंड (ख) का अनुपालन नहीं हो जाता तब तक किसी तृतीय पक्षकार के साथ सुसंगत जानकारी साझा नहीं करना ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए "सुसंगत जानकारी" से निगमित ऋणी के लिए समाधान योजना बनाने के लिए समाधान आवेदक द्वारा अपेक्षित जानकारी अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत निगमित ऋणी की वित्तीय स्थिति निगमित ऋणी के द्वारा या उसके विरुद्ध विवादों से संबंधित सभी जानकारी तथा निगमित ऋणी से संबंधित कोई अन्य विषय जो विनिर्दिष्ट किया

जाए ।"

"**30. समाधान योजना को प्रस्तुत करना** – (1) कोई समाधान आवेदक, सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार की गई समाधान योजना को एक शपथपत्र के साथ उसमें यह कथन करते हुए कि वह धारा 29क के अधीन पात्र है, समाधान वृत्तिक को प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) समाधान वृत्तिक उसको प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की परीक्षा यह पुष्टि करने के लिए करेगा कि प्रत्येक समाधान योजना –

(क) दिवालिया समाधान प्रक्रिया लागतों का संदाय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में निगमित ऋणी के अन्य ऋणों के प्रतिसंदाय पर पूर्विकता से किए जाने का उपबंध करती है ;

(ख) प्रचालन लेनदारों के ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए ऐसी रीति में उपबंध करती है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जो धारा 53 के अधीन निगमित ऋणी के परिसमापन की दशा में प्रचालन लेनदारों को संदत्त की जाने वाली रकम से कम नहीं होगा ;

(ग) समाधान योजना के अनुमोदन के पश्चात् निगमित ऋणी के कार्यों के प्रबंध के लिए उपबंध करती है ;

(घ) समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण का उपबंध करती है ;

(ङ) तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं करती है ;

(च) ऐसी अन्य अपेक्षाओं के अनुरूप है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

स्पष्टीकरण – खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए, यदि समाधान योजना के अधीन कार्यवाहियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य

विधि के अधीन शेयरधारकों का कोई अनुमोदन अपेक्षित है, तो ऐसा अनुमोदन दिया गया समझा जाएगा और यह उस अधिनियम या विधि का उल्लंघन नहीं होगा ।

(3) समाधान वृत्तिक, ऐसी समाधान योजना अनुमोदन के लिए लेनदारों की समिति को प्रस्तुत करेगा, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों की पुष्टि करती है ।

(4) लेनदारों की समिति ऐसे मत द्वारा, जो वित्तीय लेनदारों के मतांश का छियासठ प्रतिशत से कम न हो, समाधान योजना का उसकी साध्यता और व्यवहार्यता पर तथा ऐसी अन्य अपेक्षाओं, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पर विचार करने के पश्चात अनुमोदन कर सकेगी :

परंतु लेनदारों की समिति दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के आरंभ से पूर्व प्रस्तुत की गई किसी समाधान योजना का वहां अनुमोदन नहीं करेगी, जहां समाधान आवेदक धारा 29क के अधीन अपात्र है और समाधान वृत्तिक के लिए वहां नई समाधान योजना आमंत्रित करना अपेक्षित हो जाए जहां उसके पास कोई अन्य समाधान योजना उपलब्ध न हो :

परंतु यह भी कि जहां प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट समाधान आवेदक धारा 29क के खंड (ग) के अधीन अपात्र है, वहां लेनदारों की समिति द्वारा समाधान आवेदक को धारा 29क के खंड (ग) के परंतुक के अनुसार अतिशोध्य रकमों का संदाय करने के लिए इतनी अवधि, जो तीस दिनों से अधिक की नहीं होगी, अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु यह और कि द्वितीय परंतुक की किसी बात का अर्थ धारा 12 की उपधारा (3) के परंतुक के प्रयोजनों के लिए अवधि का विस्तार करने के रूप में नहीं लगाया जाएगा और निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर पूरी की जाएगी ।

परंतु यह और भी कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता

(संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश सं. 6) द्वारा यथा संशोधित धारा 29क में उपबंधित पात्रता मानदंड उस समाधान आवेदक पर लागू होगा जिसने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के आरंभ की तारीख तक समाधान योजना प्रस्तुत नहीं की है ।

(5) समाधान आवेदक, लेनदारों की समिति की ऐसी बैठक में, जिसमें आवेदक की समाधान योजना पर विचार किया जाना है, हाजिर रह सकेगा :

परंतु समाधान आवेदक को लेनदारों की बैठक में मत देने का तब तक अधिकार नहीं होगा जब तक कि एक ऐसा समाधान आवेदक भी वित्तीय लेनदार न हो ।

(6) समाधान वृत्तिक लेनदारों की समिति द्वारा तथा अनुमोदित समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।"

"**31. समाधान योजना का अनुमोदन** – (1) यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन लेनदारों की समिति द्वारा यथा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है तो वह आदेश द्वारा समाधान योजना को अनुमोदित कर देगा जो निगमित ऋणी और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों प्रत्याभूतिदाताओं और समाधान योजना में सम्मिलित अन्य पणधारियों पर बाध्यकारी होगी ।

परंतु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी इस उपधारा के अधीन समाधान योजना के अनुमोदन का आदेश पारित करने से पूर्व अपना यह समाधान करेगा कि समाधान योजना में इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपबंध हैं ।

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि समाधान योजना उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के

अनुरूप नहीं है, तो वह आदेश द्वारा समाधान योजना को नामंजूर कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अनुमोदन आदेश के पश्चात् –

(क) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा धारा 14 के अधीन पारित अधिस्थगन आदेश प्रभाव में नहीं रहेगा, और

(ख) समाधान वृत्तिक, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया संचालित करने से संबंधित सभी अभिलेख और समाधान अपने डाटा बेस में अभिलिखित करने के लिए बोर्ड को भेजेगा ।

(4) समाधान आवेदक उपधारा (1) के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित आवश्यक अनुमोदन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन समाधान योजना के लिए किए गए अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो उस विधि में उपबंधित है और जो बाद की है, अभिप्राप्त करेगा :

(रेखांकन बल देने के लिए किया गया है)

परंतु जहां समाधान योजना में, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 5 में निर्दिष्ट अनुसार, संयोजन का उपबंध अंतर्विष्ट है, वहां लेनदारों की समिति द्वारा ऐसी समाधान योजना का अनुमोदन करने से पूर्व समाधान आवेदक को उस अधिनियम के अधीन भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का अनुमोदन अभिप्राप्त करना होगा ।"

"60. निगमित व्यक्तियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी –

* * * *

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को, –

(क) किसी निगमित ऋणी या निगमित व्यक्तियों द्वारा या उसके विरुद्ध किसी आवेदन या कार्यवाही को ;

(ख) निगमित ऋणी या निगमित व्यक्तियों द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए किसी दावे को, जिसके अंतर्गत भारत में स्थित उसकी समनुषंगियों द्वारा या उनके विरुद्ध किए गए दावे भी हैं ; और

(ग) पूर्विकता के किसी प्रश्न या विधि या तथ्यों के ऐसे किसी प्रश्न को, जो इस संहिता के अधीन निगमित ऋणी या निगमित व्यक्ति की दिवाला समाधान या समापन कार्यवाहियों से या उसके संबंध में उद्भूत हुआ है,

ग्रहण करने या उसके निपटारा करने की अधिकारिता होगी ।

* * * *"

"**61. अपीलें और अपील प्राधिकारी** – (1) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस भाग के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

* * * *"

"**62. उच्चतम न्यायालय को अपील** – (1) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, इस संहिता के अधीन ऐसे आदेश से उद्भूत विधि के किसी प्रश्न पर, ऐसे आदेश के प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकेगा ।

* * * *"

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 निम्नलिखित है :-

*"**2. परिभाषाएं** – (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

* * * *

(घ) 'समिति' से धारा 21 के अधीन स्थापित लेनदारों की समिति अभिप्रेत है ;

* * * *"

(ठ) 'प्रतिभागी' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 24 के अधीन समिति की बैठक में भाग लेने के लिए हकदार है या समिति की बैठक में भाग लेने के लिए समिति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति है ;

* * * *

"19. समिति की बैठकों के लिए सूचना – (1) इस विनियम के अधीन रहते हुए, समिति की कोई बैठक प्रत्येक सहभागी को उस पते पर, जो उसने समाधान व्यावसायिक को उपलब्ध कराया है, लिखित में कम से कम पांच दिन की सूचना देकर बुलाई जाएगी और ऐसी सूचना दस्ती या डाक द्वारा भेजी जाएगी किन्तु हर हालत में प्रत्येक सहभागी को उसकी तामील विनियम 20 के अनुसार इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा की जाएगी ।

---

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है -

"2. **Definitions** – (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires –

* * * *

(d) "committee" means a committee of creditors established under Section 21 ;

* * * *

(l) "participant" means a person entitled to attend a meeting of the committee under Section 24 or any other person authorized by the committee to attend the meeting ;

* * * *

"19. **Notice for meetings of the committee** – (1) Subject to this Regulation, a meeting of the committee shall be called by giving not less than five day's notice in writing to every participant, at the address it has provided to the resolution professional and such notice may be sent by hand delivery, or by post but in any event, be served on every participant by electronic means in accordance with Regulation 20.

(2) समिति सूचना देने की अवधि को पांच दिन से कम-से-कम चौबीस घंटे की ऐसी अन्य अवधि तक घटा सकेगी, जो वह उपयुक्त समझे :

परन्तु समिति उस अवधि को ऐसी अन्य अवधि जो कि कम-से-कम अड़तालीस घंटे से कम नहीं होगी तक घटा सकेगी, यदि उसमें कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि है ।"

"**21. बैठक के लिए सूचना का सारांश** – (1) सूचना में बैठक के स्थान, समय और बैठक की तारीख के बारे में तथा उनके पास उपलब्ध वीडियों कांफ्रेंसिंग या अन्य दृश्य और श्रव्य साधनों के माध्यम से भाग लेने के विकल्प के बारे में बताया जाएगा और वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य दृश्य और श्रव्य साधनों के माध्यम से भाग लेने की समस्त आवश्यक सूचना होगी ।

(2) बैठक की सूचना में बताया जाएगा कि कोई प्रतिभागी बैठक में व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकता है और मतदान कर सकता है :

परंतु कि ऐसा प्रतिभागी बैठक से पूर्व समाधान वृत्तिक को प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो बैठक में उसके स्थान पर उपस्थित होगा और मतदान करेगा, कि पहचान बताएगा ।

---

(2) The committed may reduce the notice period from five days to such other period of not less than twenty-four hours, as it deems fit :

Provided that the committee may reduce the period to such other period of not less than forty-eight hours if there is an authorized representative."

"21. **Contents of the notice for meeting** – (1) The notice shall inform the participants of the venue, the time and date of the meeting and of the option available to them to participate through video conferencing or other audio and visual means, and shall also provide all the necessary information to enable participation through vide conferencing or other audio and visual means.

(2) The notice of the meeting shall provide that a participant may attend and vote in the meeting either in person or through and authorized representative:

Provided that such participant shall inform the resolution professional, in advance of the meeting, of the identity of the authorized representative who will attend and vote at the meeting on its behalf.

(3) बैठक की सूचना में निम्नलिखित के साथ बैठक की एक कार्य-सूची होगी –

(i) बैठक में चर्चा किए जाने वाले मामलों की एक सूची ;

(ii) बैठक में मतदान किए जाने वाले मामलों की एक सूची ;

(iii) बैठक में चर्चा किए जाने वाले मामलों और मतदान किए जाने वाले मामलों से संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियां ।

(4) बैठक की सूचना में :-

(क) इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा मतदान के लिए प्रक्रिया और रीति तथा निर्धारित समय और उस समयावधि का उल्लेख होगा जिसके दौरान मतदान किया जाएगा :

(ख) लॉग-इन आईडी प्रदान करना और पासवर्ड जेनरेट करने के लिए किसी सुविधा का और सुरक्षा रखने तथा सुरक्षित तरीके से मतदान करने का विवरण होगा ;

(ग) उस व्यक्ति के संपर्क का विवरण होगा जो इलेक्ट्रानिक मतदान से संबंधित शंकाएं दूर करेगा ।"

(रेखांकन बल देने के लिए किया गया है)

---

(3) The notice of the meeting shall contain the following –

(i) a list of the matters to be discussed at the meeting ;

(ii) a list of the issues to be voted upon at the meeting ; and

(iii) copies of all documents relevant to the matters to be discussed and the issues to be voted upon at the meeting.

(4) The notice of the meeting shall –

(a) state the process and manner for voting by electronic means and the time schedule, included the time period during which the votes may be cast ;

(b) provide the login ID and the details of a facility for generating password and for keeping security and casting of vote in a secure manner; and

(c) provide contact details of the person who will address the queries connected with the electronic voting.

(emphasis supplied)

"**24. बैठक का आयोजन** – (1) समाधान वृत्तिक समिति की बैठक के सभापति के रूप में कार्य करेगा ।

(2) किसी बैठक के आरंभ में समाधान वृत्तिक जब हाजिरी लेगा तब विडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य और दृश्य साधनों के माध्यम से उपस्थित प्रत्येक प्रतिभागी रिकार्ड के लिए निम्नलिखित बताएगा, अर्थात् :

(क) अपना नाम

(ख) क्या वह समिति के किसी सदस्य या अन्य किसी प्रतिभागी की हैसियत से उपस्थित है,

(ग) क्या वह किसी सदस्य या सदस्यों के समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है,

(घ) वह स्थान जहां से वह भाग ले रहा है ;

(ङ) उसने बैठक के लिए कार्यसूची और संबंधित समस्त सामग्री प्राप्त की है ; और

(च) उस व्यक्ति के स्थान से उसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं है और बैठक की कार्यवाही को नहीं देख रहा है ।

"24. **Conduct of meeting** – (1) The resolution professional shall act as the chairperson of the meeting of the committee.

(2) At the commencement of a meeting, the resolution professional shall take a roll can when every participant attending through video conferencing or other audio and visual means shall state, for the record, the following –

(a) his name ;

(b) whether he is attending in the capacity of a member of the committee or any other participant ;

(c) whether he is representing a member of group of members ;

(d) the location from where he participating ;

(e) that he has received the agenda and all the relevant material for the meeting ; and

(f) that no one other than him is attending or has access to the proceedings of the meeting at the location of that person.

(3) हाजिरी के बाद, समाधान वृत्तिक बैठक में उपस्थित सभी व्यक्तियों के नाम प्रतिभागियों को बताएगा और पुष्टि करेगा कि अपेक्षित कोरम पूरा है ।

(4) समाधान वृत्तिक सुनिश्चित करेगा कि पूरी बैठक के दौरान अपेक्षित कोरम उपस्थित है ।

(5) बैठक के प्रारंभ होने से समापन तक प्रतिभागियों के अतिरिक्त और ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसकी उपस्थिति समाधान वृत्तिक द्वारा अपेक्षित है, के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को समाधान वृत्तिक की अनुमति के बिना उस स्थान पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां बैठक आयोजित की जा रही है या जिस स्थान पर वीडियों कांफ्रेंसिग या अन्य श्रव्य और दृश्य सुविधा है ।

(6) समाधान वृत्तिक सुनिश्चित करेगा कि समिति की प्रत्येक बैठक के संबंध में कार्यवृत्त बनाए गए हैं और उन कार्यवृत्तों में उन प्रतिभागियों के ब्यौरों का प्रकटीकरण होगा, जो बैठक में व्यक्तिगत रूप से, वीडियों कांफ्रेंसिंग, या अन्य श्रव्य और दृश्य साधनों के माध्यम से उपस्थित थे ।

(7) समाधान वृत्तिक उक्त बैठक के अड़तालीस घंटों के भीतर इलैक्ट्रोनिक साधनों के द्वारा सभी प्रतिभागियों को बैठक का कार्यवृत्त भेजेगा ।"

(रेखांकन बल देने के लिए किया गया है)

---

(3) After the roll call, the resolution professional shall inform the participants of the names of all persons who are present for the meeting and confirm if the required quorum is complete.

(4) The resolution professional shall ensure that the required quorum is present throughout the meeting.

(5) From the commencement of the meeting till its conclusion, no person other than the participants and any other person whose presence is required by the resolution professional shall be allowed access to the place where meeting is held or to the video conferencing or other audio and visual facility, without the permission of the resolution professional.

(6) The resolution professional shall ensure that minutes are made in relation to each meeting of the committee and such minutes shall disclose the particulars of the participants who attended the meeting in person, through video conferencing, or other audio and visual means.

(7) The resolution professional shall circulate the minutes of the meeting to all participants by electronic means within forty eight hours of the said meeting.

(emphasis supplied)

"35. उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य – (1) उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य का अवधारण निम्नलिखित रीति में किया जाएगा ;

(क) विनियम 27 के अधीन नियुक्त दो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, निगमित ऋणी की संपत्ति-तालिका और नियत आस्तियों का सत्यापन करने के पश्चात् समाधान वृत्तिक को अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्यांकन मानकों के अनुसार संगणित उचित मूल्य का और परिसमापन मूल्य का प्राक्कलन प्रस्तुत करेंगे ;

(ख) यदि समाधान वृत्तिक की राय में, दोनों प्राक्कलन महत्वपूर्ण रूप से भिन्न-भिन्न हैं तो वह एक अन्य रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नियुक्त कर सकेगा, जो कि उसी रीति में संगणित एक प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा ; और

(ग) मूल्य के दो निकटतम प्राक्कलन का औसत क्रमश: उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य समझा जाएगा ।

(2) समाधान वृत्तिक, संहिता और इन विनियमों के अनुसार समाधान योजनाओं की प्राप्ति के पश्चात्, समिति के प्रत्येक सदस्य

"35. **Fair value and Liquidation value.** – (1) Fair value and liquidation value shall be determined in the following manner –

(a) the two registered valuers appointed under Regulation 27 shall submit to the resolution professional an estimate of the fair value and the liquidation value computed in accordance with internationally accepted valuation standards, after physical verification of the inventory and fixed assets of the corporate debtor ;

(b) If in the opinion of the resolution professional, the two estimates of a value are significantly different, he may appoint another registered valuer who shall submit an estimate computed in the same manner ; and

(c) the average of the two closest estimates shall be considered the fair value or the liquidation value, as the case may be.

(2) After the receipt of resolution plans in accordance with the Code and

को, सदस्य से इस आशय का वचनबंध प्राप्त करने पर इलैक्ट्रोनिक रूप से उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य उपलब्ध करेगा कि ऐसा सदस्य उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेगा और ऐसे मूल्यों का, स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या अनुचित हानि कारित करने के लिए प्रयोग नहीं करेगा और धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ;

(3) समाधान वृत्तिक और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य की गोपनीयता बनाए रखेगा ।"

"**36. जानकारी ज्ञापन** – (1) उप-विनियम (4) के अधीन रहते हुए, समाधान वृत्तिक अपनी नियुक्ति के दो सप्ताह के भीतर किंतु दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से चौवन दिन के अपश्चात् तक, जो भी पहले हो, समिति के प्रत्येक सदस्य को इलैक्ट्रोनिक रूप में जानकारी ज्ञापन प्रस्तुत करेगा ।

(2) जानकारी ज्ञापन में निगमित ऋणी के निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे –

(क) दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को ऐसे विवरण सहित आस्तियां और दायित्व, जो उनके मूल्य अभिनिश्चित करने के लिए आमतौर पर आवश्यक हैं ।

---

these regulations, the resolution professional shall provide the fair value and the liquidation value to every member of the committee in electronic form, on receiving an undertaking from the member to the effect that such member shall maintain confidentiality of the fair value and the liquidation value and shall not use such values to cause an undue gain or undue loss to itself or any other person and comply with the requirements under sub-section (2) of Section 29.

(3) The resolution professional and registered valuers shall maintain confidentiality of the fair value and the liquidation value."

"36. **Information memorandum** – (1) Subject to sub-regulation (4), the resolution professional shall submit the information memorandum in electronic from to each member of the committee within two weeks of his appointment, but not later that fifty-fourth day from the insolvency commencement date, whichever is earlier.

(2) The information memorandum shall contain the following details of the corporate debtor –

(a) assets and liabilities with such description, as on the insolvency commencement date, as are generally necessary for ascertaining their values.

स्पष्टीकरण – 'विवरण' के अंतर्गत वे ब्यौरे आते हैं, जैसे अर्जन की तारीख, अर्जन की लागत, शेष उपयोगी अवधि, पहचान संख्यांक, प्रभारित अवक्षयण, बही मूल्य और कोई अन्य सुसंगत ब्यौरे ।

(ख) नवीनतम वार्षिक वित्तीय विवरण ;

(ग) निगमित ऋणी के पिछले दो वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और वर्तमान वित्तीय वर्ष का अस्थायी वित्तीय विवरण जो आवेदन की तारीख से 14 दिनों से अधिक पहले का न हो ;

(घ) लेनदारों की सूची जिसमें लेनदारों के नाम, उनके द्वारा दावाकृत राशि, उनके स्वीकृत दावों की राशि और इन दावों से संबंधित प्रतिभूति हित, यदि कोई हो, निहित हों ;

(ङ) निगमित ऋणी से या निगमित ऋणी को संबंधित पक्षकारों की बाबत देय ऋण के ब्यौरे ;

(च) निगमित ऋणी के ऋणों से संबंधित अन्य व्यक्तियों द्वारा दी गई गारंटी के ब्यौरे, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया हो कि कौन या गारंटीदाता संबंधित पक्षकार है ;

Explanation – "Description" includes the details such as date of acquisition, cost of acquisition, remaining useful life, identification number, depreciation charged, book value, and any other relevant details.

(b) the latest annual financial statements ;

(c) audited financial statements of the corporate debtor for the last two financial years and provisional financial statements for the current financial year made up to a date not earlier than fourteen day's from the date of the application ;

(d) a list of creditor containing the names of creditor, the amounts claimed by them, the amount of their claims admitted and the security interest, if any, in respect of such claims ;

(e) particulars of a debt due from or the corporate debtor with respect to related parties ;

(f) details of guarantees that have been given in relation to the debts of the corporate debtor by other persons, specifying which of the guarantors is a related party ;

(छ) निगमित ऋणी कंपनी में कम से कम एक प्रतिशत शेयर रखने वाले सदस्यों या भागीदारों का नाम व पता और उनके शेयरों का आकार ;

(ज) सरकार और संवैधानिक प्राधिकरणों द्वारा दायर सभी मुकदमों और किसी चालू जांच और कार्यवाही के ब्यौरे ;

(झ) मजदूरों और कर्मचारियों की संख्या और उनके प्रति निगमित ऋणी की देयता ;

(ञ) [* * *]

(ट) [* * *]

(ठ) अन्य सूचना, जो समाधान वृत्तिक समिति को बताना उचित समझे ।

(3) समिति का कोई सदस्य समाधान वृत्तिक से इस विनियम में वर्णित अन्य जानकारी का अनुरोध कर सकता है और यदि समाधान योजना पर ऐसी जानकारी का प्रभाव पड़ता है तो समाधान वृत्तिक उचित समय के भीतर सभी सदस्यों को ऐसी जानकारी प्रदान करेगा ।

(4) समाधान वृत्तिक, समिति के किसी सदस्य या किसी भावी

(g) the names and addresses of the members of partners holding at least one per cent stake in the corporate debtor along with the size of stake ;

(h) details of all material litigation and an ongoing investigation or proceeding initiated by Government and statutory authorities ;

(i) the number of workers and employees and liabilities of the corporate debtor towards them ; and

(j) [***]

(k) [***]

(l) other information, which the resolution professional deems relevant to the committee.

(3) A member of the committee may request the resolution professional for further information of the nature described in this Regulation and the resolution professional shall provide such information has a bearing on the resolution plan.

(4) The resolution professional shall share the information memorandum after

समाधान आवेदक से इस आशय का वचनबंध प्राप्त करने के पश्चात् कि ऐसा सदस्य या समाधान आवेदक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेगा और ऐसी जानकारी का, स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या अनुचित हानि कारित करने के लिए प्रयोग नहीं करेगा और धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, जानकारी ज्ञापन को साझा करेगा ।"

"**37. समाधान योजना** – किसी समाधान योजना में ऐसे अध्युपाय होंगे, जो निगमित ऋणी की आस्तियों के मूल्य के अधिकतम मूल्यांकन के लिए आवश्यक हों, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु यहां तक सीमित नहीं है –

(क) निगमित ऋणी की समस्त या आंशिक आस्तियों का एक या अधिक व्यक्तियों को अंतरण करना ;

(ख) समस्त या आंशिक आस्तियों का, चाहे वे किसी प्रतिभूति हित के अध्यधीन हैं अथवा नहीं, विक्रय करना ;

(ग) निगमित ऋणी के सारवान् शेयरों का अर्जन करना या निगमित ऋणी का एक या अधिक व्यक्तियों में विलयन या समेकन करना ;

(गक) निगमित ऋणी के किन्हीं शेयरों को रद्द या असूचीबद्ध करना, यदि लागू हो ;

---

receiving an undertaking from a member of the committee to the effect that such member or resolution applicant shall maintain confidentiality of the information and shall not use such information to cause an undue gain or undue loss to itself or any other person and comply with the requirements under sub-section (2) of Section 29."

"37. **Resolution plan** – A resolution plan shall provide for the measures, as may be necessary, for insolvency resolution of the corporate debtor for maximization of value of its assets, including but not limited to the following –

(a) transfer of all or part of the assets of the corporate debtor to one or more persons ;

(b) sale of all or part of the assets whether subject to any security interest or not ;

(c) the substantial acquisition of shares of the corporate debtor, or the merger or consolidation of the corporate debtor with one or more persons ;

(ca) cancellation or delisting of any shares of the corporate debtor, if applicable ;

(घ) किसी प्रतिभूति हित की तुष्टि या उपांतरण करना ;

(ङ) निगमित ऋणी से देय किसी ऋण के निबंधनों में सुधार करना या किसी भंग का अधित्यजन करना ;

(च) लेनदारों को संदेय रकम में कटौती करना ;

(छ) निगमित ऋणी से देय किसी ऋण की परिपक्वता तारीख का विस्तार करना या ब्याज की दर या अन्य निबंधनों में परिवर्तन करना ;

(ज) निगमित ऋणी के गठन संबंधी दस्तावेजों में संशोधन करना ;

(झ) नकदी, संपत्ति, प्रतिभूतियों के लिए या दावों या हितों के विनिमय या अन्य समुचित प्रयोजन के लिए निगमित ऋणी की प्रतिभूतियों का जारी किया जाना ;

(ञ) निगमित ऋणी द्वारा उत्पादित या प्रदान किए गए माल या सेवाओं के पोर्टफोलियो में परिवर्तन करना ;

(ट) निगमित ऋणी द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करना ; और

(d) satisfaction or modification or any security interest ;

(e) curing or waiving of any breach of the terms of any debt due from the corporate debtor ;

(f) reduction in the amount payable to the creditors ;

(g) extension of a maturity date or a change in interest rate or other terms of a debt due from the corporate debtor ;

(h) amendment of the constitutional documents of the corporate debtor ;

(i) issuance of securities of the corporate debtor, for cash, property, securities, or in exchange for claims or interest, or other appropriate purpose ;

(j) change in portfolio of goods or services produced or rendered by the corporate debtor ;

(k) change in technology used by the corporate debtor ; and

(ठ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन अभिप्राप्त करना ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

"**38. समाधान योजना की आज्ञापक विषयवस्तु** – (1) किसी समाधान योजना के अधीन प्रचालन लेनदारों को देय रकम को संदाय के मामले में वित्तीय लेनदारों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी ।

(1क) समाधान योजना में यह विवरण शामिल किया जाएगा कि सभी पणधारियों, जिनमें निगमित ऋणी के वित्तीय लेनदार और प्रचालन लेनदार भी हैं, के हितों का कैसे ध्यान रखा गया है ।

(2) किसी समाधान योजना में निम्नलिखित विषय होंगे :

(क) योजना की अवधि और इसकी कार्यान्वयन अनुसूची ;

(ख) निगमित ऋणी के कार्यकाल की अवधि के दौरान कारबार का प्रबंधन और नियंत्रण ; और

(ग) इसके कार्यान्वयन की पर्यवेक्षण के लिए पर्याप्त उपाय ।

(l) obtaining necessary approvals from the Central and State Governments and other authorities."

(emphasis supplied)

38. Mandatory contents of the resolution plan – (1) The amount due to the operational creditors under a resolution plan shall be given priority in payment over financial creditors.

(1-A) A resolution plan shall include a statement as to how it has dealt with the interests of all stakeholders, including financial creditors and operational creditors, of the corporate debtor.

(2) A resolution plan shall provide :

(a) the term of the plan and its implementation schedule ;

(b) the management and control of the business of the corporate debtor during its term ; and

(c) adequate means for supervising its implementation.

(3) किसी समाधान योजना में यह प्रदर्शित होगा कि –

(क) वह व्यतिक्रम के कारण को दूर करती है ;

(ख) वह साध्य और व्यवहार्य है ;

(ग) उसमें उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपबंध है ;

(घ) उसमें अपेक्षित अनुमोदनों के लिए और उसकी समय-सीमा के लिए उपबंध है ; और

(ङ) समाधान आवेदक समाधान योजना को कार्यान्वित करने में समक्ष है ।"

"**39. समाधान योजना का अनुमोदन** – (1) अंतिम सूची में शामिल कोई भावी समाधान आवेदक, समाधान व्यावसायिक को संहिता और इन विनियमों के अनुसार तैयार समाधान योजना या योजनाएं विनियम 36ख के अधीन समाधान योजनाओं के लिए निवेदन में दिए गए समय के भीतर निम्नलिखित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत कर सकेगा –

(क) यह कथन करते हुए एक शपथपत्र कि वह धारा 29क के अधीन समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए पात्र है ;

---

3. A resolution plan shall demonstrate that :

(a) it addresses the cause of default ;

(b) it is feasible and viable ;

(c) it has provisions for its effective implementation ;

(d) it has provisions for approvals required and the timeline for the same ; and

(e) the resolution applicant has the capability to implement the resolution plan."

"39. **Approval of resolution plan** – (1) A prospective resolution applicant in the final list may submit resolution plan or plans in accordance with the Code and these regulations to the resolution professional electronically within the time given in the request for resolution plans under regulation 36B along with :

(a) And affidavit stating that it is eligible under section 29A to subit resolution plans ; and

(ख) [* * *]

(ग) भावी समाधान आवेदक द्वारा यह वचनबंध कि समाधान योजना के संबंध में या उसमें दी गई प्रत्येक जानकारी और अभिलेख सत्य और सही है तथा किसी भी समय मिथ्या जानकारी और अभिलेख का पता चलने पर वह कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में बने रहने के लिए अपात्र हो जाएगा, कोई प्रतिदेय निक्षेप प्रतिसंहृत हो जाएगा और उसके विरुद्ध संहिता के अधीन शास्तिक कार्रवाई लागू होगी ।

(1क) ऐसी समाधान योजना, जो उप-विनियम (1) के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती है, नामंजूर कर दी जाएगी ।

(2) समाधान वृत्तिक, समिति को ऐसी सभी समाधान योजनाएं, जो संहिता और उसके अधीन बनाए गए विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, अपने द्वारा संप्रेक्षित पाए गए निर्धारित निम्नलिखित संव्यवहारों के, यदि कोई है, विवरण :–

(क) धारा 43 के अधीन अधिमानी संव्यवहार ;

(ख) धारा 45 के अधीन न्यून मूल्यांकित संव्यवहार ;

(ग) धारा 50 के अधीन उद्दापक प्रत्यय संव्यवहार ; और

(b) [***]

(c) An undertaking by the prospective resolution applicant that every information and records provided in connection with or in the resolution plan is true and correct and discovery of false information and record at any time will render the applicant ineligible to continue in the corporate insolvency resolution process, forfeit any refundable deposit, and attract penal action under the Code.

(1A) A resolution plan which does not comply with the provisions of sub-regulation (1) shall be rejected.

(2) The resolution professional shall submit to the committee all resolution plans which comply with the requirements of the Code and regulations made thereunder along with the details of following transactions, if any, observed, found or determined by him :–

(a) preferential transactions under Section 43 ;

(b) undervalued transactions under Section 45;

(c) extortionate credit transactions under Section 50 ; and

(घ) धारा 66 के अधीन कपटपूर्ण संव्यवहार,

और ऐसे संव्यवहारों की बाबत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेशों सहित यदि कोई हैं, प्रस्तुत करेगा ।

(3) समिति उप-विनियम (1) के अधीन प्राप्त समाधान योजनाओं का, सर्वोत्तम समाधान योजना की पहचान करने के लिए मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार यथार्थत: मूल्यांकन करेगी और उसे ऐसी उपांतरणों सहित, जो वह उचित समझे, अनुमोदित कर सकेगी :

परंतु समिति किसी समाधान योजना का अनुमोदन करने या उसे अस्वीकार करने के लिए कारण लेखबद्ध करेगी ।

(4) समाधान वृत्तिक, समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को अनुसूची के प्ररूप ज में अनुपालन प्रमाणपत्र सहित, धारा 12 के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने की अधिकतम अवधि से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा ।

(5) समाधान वृत्तिक भागीदारों और समाधान आवेदक को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा किसी समाधान योजना के अनुमोदन या अस्वीकृति के आदेश की प्रति तत्काल भेजेगा ।

(d) fraudulent transactions under Section 66,

and the orders, if any, of the adjudicating authority in respect of such transactions.

(3) The committee shall evaluate the resolution plans received under sub-regulation (1) strictly as per the evaluation matrix to identify the best resolution plan and may approve it with such modifications as it deems fit :

Provided that the committee shall record the reasons for approving or rejecting a resolution plan.

(4) The resolution professional shall endeavour to submit the resolution plan approved by the committee to the Adjudicating Authority at least fifteen day's before the maximum period for completion of corporate insolvency resolution process under section 12, along with a compliance certificate in Form H of the Schedule.

(5) The resolution professional shall forthwith send a copy of the order of the Adjudicating Authority approving or rejecting a resolution plan to the participants and the resolution applicant.

(6) किसी समाधान योजना का कोई उपबंध, जिसमें वैसे तो निगमित ऋणी, शेयरधारक करार, संयुक्त उद्यम करार या उसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों की शर्तों के तहत यथास्थिति, निगमित ऋणी कंपनी के सदस्यों या भागीदारों की सहमति अपेक्षित है, को सहमति प्राप्त न होने के बावजूद लागू किया जाएगा ।

(7) दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व निगमित ऋणी की कार्रवाइयों के लिए यथास्थिति, अंतरिम समाधान वृत्तिक या समाधान वृत्तिक के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही की पहल नहीं की जाएगी ।

(8) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के पश्चात् निगमित ऋणी के व्यवसाय के प्रबंधन या नियंत्रण और परिचालन का प्रभारी व्यक्ति न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष समाधान योजना की शर्तों के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता की मांग के आदेश के लिए आवेदन कर सकता है ।"

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक) विनियम, 2016 निम्न प्रकार से हैं :–

"7. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र –

---

(6) A provision in a resolution plan which would otherwise require the consent of the members or partners of the corporate debtor, as the case may be under the terms of the constitutional documents of the corporate debtor, shareholders' agreement, joint venture agreement or other document of a similar nature, shall take effect notwithstanding that such consent has not been obtained.

(7) No proceedings shall be initiate against the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, for any actions of the corporate debtor, prior to the insolvency commencement date.

(8) A person is charge of the management or control of the business and operations of the corporate debtor after a resolution plan is approved by the Adjudicating Authority, may make an application to the Adjudicating Authority for an order seeking the assistance of the local district administration in implementing the terms of a resolution plan."

The relevant provisions of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 read as under :

"7. Certificate of registration –

* * * *

(2) रजिस्ट्रीकरण इन शर्तों के अध्यधीन होगा कि दिवाला वृत्तिक –

* * * *

(ज) इन विनियमों की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेगा ; और

* * * *

"प्रथम अनुसूची

[विनियम 7(2)(ज) के अधीन]

दिवाला वृत्तिकों के लिए आचार संहिता

* * * *

गोपनीयता

21. किसी दिवाला वृत्तिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिवाला संकल्प प्रक्रिया, समापन या शोधन अक्षमता प्रक्रिया, जैसा

---

* * * *

(2) The registration shall be subject to the conditions that the insolvency professional shall –

* * * *

(h) abide by the Code of Conduct specified in the First Schedule to these Regulations; and

* * * *

"FIRST SCHEDULE

[under Regulation, 7(2)(h)]

CODE OF CONDUCT FOR INSOLVENCY PROFESSIONALS

* * * *

Confidentiality.

21. An insolvency professional must ensure that confidentiality of the information relating to the insolvency resolution process, liquidation or bankruptcy process, as the

भी मामला हो, के संबंध में जानकारी की हमेशा गोपनीयता रखी गई है । तथापि, इससे संबंधित पक्षकारों की सहमति या कानून की अपेक्षा पर कोई जानकारी उपलब्ध कराने से नहीं रोका जाएगा ।

* * * *"

8. संहिता की कानूनी स्कीम, जहां तक इसका संबंध निदेशक बोर्ड के पूर्वतर सदस्यों से है, निम्नलिखित रूप में है :

धारा 21 के अधीन पहले लेनदारों की एक समिति गठित की जाती है जो केवल निगमित ऋणी के वित्तीय लेनदारों से मिलकर बनती है । धारा 24 के अधीन, समिति की सभी बैठकें समाधान वृत्तिक द्वारा आयोजित की जानी होती हैं, जो, तथापि, इस समिति का भाग नहीं होता है । इसमें धारा 24(3)(ख) महत्वपूर्ण है, समाधान वृत्तिक को लेनदारों की समिति की प्रत्येक बैठक की सूचना, अन्य के साथ, निदेशक बोर्ड के निलंबित सदस्यों को देनी होती है । इसी तरह प्रचालन लेनदार भी हैं, जो ऐसी बैठकों में उपस्थित और भाग ले सकते हैं बशर्ते उनके शोध्यों की रकम कुल ऋण के दस प्रतिशत से कम नहीं है, ऐसे प्रचालन लेनदारों और निदेशक बोर्ड के तत्कालीन सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है । धारा 25(2)(च) और (i) भी इसमें महत्वपूर्ण हैं, जब एक बार समाधान वृत्तिक लेनदारों की समिति की बैठकें आहूत करता है, तो उसे इन बैठकों में सभी समाधान योजनाएं प्रस्तुत करनी होती हैं । धारा 30 के अधीन, समाधान वृत्तिक उसको प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की परीक्षा करेगा जिसमें उसे अन्य बातों के साथ, यह पुष्टि करनी होगी कि प्रत्येक योजना प्रचालन लेनदारों के ऋणों के प्रतिसंदाय का उपबंध करती है, जो निगमित ऋणी के परिसमापन की दशा में उनको संदत्त की जाने वाली रकम से कम नहीं होगी । यह योजना इसके पश्चात् न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाती है, यदि इसे लेनदारों की समिति के अपेक्षित बहुमत द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता

---

case may be, is maintained at all times. However, this shall not prevent him from disclosing any information with the consent of the relevant parties or required by law.

* * * *"

है । धारा 31(1) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यदि यह समाधान हो जाता है कि क्या योजना अपेक्षाओं को पूरा करती है, तो वह इसके पश्चात् आदेश द्वारा उस समाधान योजना को अनुमोदित कर देगा जो प्रत्याभूतिदाताओं सहित समाधान योजना में सम्मिलित सभी पणधारियों पर बाध्यकारी होगी ।

9. अत:, कानूनी स्कीम में यह स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि तत्कालीन निदेशक बोर्ड लेनदारों की समिति के सदस्य नहीं हैं, तो भी उन्हें लेनदारों की समिति द्वारा आयोजित प्रत्येक बैठक में भाग लेने का अधिकार है और लेनदारों की समिति के सदस्यों के साथ-साथ उन सभी समाधान योजनाओं पर चर्चा करने का भी अधिकार है जो धारा 25(2)(i) के अधीन ऐसी बैठकों में प्रस्तुत की जाती हैं । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रचालन लेनदार, जो ऐसी बैठकों में भाग तो ले सकते हैं किंतु मत देने का अधिकार नहीं है, फिर भी ऐसी समाधान योजनाओं में महत्वपूर्ण रूप से हितबद्ध होते हैं और यदि उन्हें लेनदारों की समिति की बैठकों में प्रभावी रूप से भाग लेना है तो उन्हें पहले से ऐसी योजनाओं की प्रतियां अवश्य दी जानी चाहिए । इसका कारण यह है कि धारा 30(2)(ख) के अधीन, उनके ऋणों का प्रतिसंदाय उनसे संबंधित समाधान योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है जिस पर उन्हें अवश्य टीका-टिप्पणी करनी चाहिए । इसलिए अवेक्षा करने वाली पहली बात यह है कि भले ही प्रचालन लेनदारों जैसे व्यक्तियों को मत देने का अधिकार नहीं है अपितु लेनदारों की समिति की बैठकों में केवल भाग ले सकते हैं, तो भी ऐसी बैठकें आयोजित करने से पूर्व उन्हें समाधान योजनाओं की प्रति दिए जाने का निश्चित रूप से अधिकार है ताकि वे अपने हितों के रक्षोपाय के लिए समाधान योजनाओं पर प्रभावी रूप से टीका-टिप्पणी कर सकें ।

10. तथापि, हमारे समक्ष यह दलील दी गई कि धारा 24 के खंडों पर टिप्पणों में यह स्पष्ट किया गया है कि निदेशक बोर्ड के तत्कालीन सदस्य केवल इन बैठकों में प्रतिभागी होते हैं ताकि लेनदारों की समिति और समाधान वृत्तिक उनसे जानकारी ले सके । प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा जोरदार रूप से अवलंब लिए गए खंडों पर टिप्पण निम्नलिखित रूप में है :–

"खंड 24 में लेनदारों की समिति की बैठक के लिए रीति विहित की गई है । बैठकें समाधान वृत्तिक द्वारा संचालित की जाती हैं और निदेशक बोर्ड के सदस्य या निगमित ऋणी उपस्थित हो सकते हैं । इससे लेनदारों की समिति और समाधान वृत्तिक के लिए उस जानकारी की ईप्सा करने का अवसर मिलता है जो उनके लिए निगमित ऋणी की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने और एक समाधान योजना तैयार करने के लिए अपेक्षित हो सकती है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

11. **मोबिलोक्स इन्नोवेशंस** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है :–

"27. विधेयक से संलग्न खंडों पर टिप्पण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और निम्नलिखित रूप में है .....।"

* * * *

"38. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जहां तक प्रचालन लेनदार का संबंध है, असंदत्त प्रचालन ऋण की मांग सूचना या अंतर्वलित रकम की मांग करते हुए बीजक की प्रति विहित प्ररूप में अवश्य परिदत्त की जानी चाहिए । इसके पश्चात् निगमित ऋणी को मांग-सूचना या बीजक की प्रति की प्राप्ति की तारीख से विवाद, यदि कोई है, की विद्यमानता को प्रचालन लेनदार के ध्यान में लाने के लिए दस दिन का समय दिया जाता है । हमने भी दिवाला और शोधन अक्षमता विधेयक, 2015 से संलग्न खंडों पर टिप्पण को देखा, जिसमें केवल 'विवाद की विद्यमानता' का उल्लेख है । अन्यथा भी, विधायी आशय को ध्यान में रखते हुए धारा 8(2)(क) में प्रकट होने वाले शब्द 'और' को 'या' के रूप में पढ़ा जाना आवश्यक है और वास्तविकता यह है कि यदि इसे 'या' के रूप में नहीं पढ़ा जाता है तो एक विलक्षण स्थिति उद्भूत हो जाएगी ....।"

12. किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि खंडों पर टिप्पण संहिता की धाराओं के अर्थान्वयन के लिए महत्वपूर्ण सहायक हैं क्योंकि उनसे यह दर्शित होता है कि जब ऐसे उपबंध प्रारूपित किए

थे तब प्रारूपण समिति के मस्तिष्क में क्या था । तथापि, खंड 24 पर टिप्पण का गहराई से अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि खंड 24 पर टिप्पण का तीसरा वाक्य अपने आप में समस्या मूलक है । सबसे पहली बात इसमें समाधान वृत्तिक द्वारा जानकारी की ईप्सा करने का उल्लेख है । समाधान वृत्तिक द्वारा लेनदारों की समिति की बैठक में ऐसी जानकारी की ईप्सा नहीं की जाती है, जो कुछ धारा 24 में है । समाधान वृत्तिक जानकारी ज्ञापन तैयार करने से पूर्व धारा 29 के अधीन तत्कालीन निदेशक-बोर्ड से केवल जानकारी की ईप्सा करता है, जिसमें इसके पश्चात् निगमित ऋणी की वित्तीय स्थिति और निगमित ऋणी आदि द्वारा किए गए या उसके विरुद्ध किए गए विवादों के संबंध में जानकारी सम्मिलित की जाती है । इन सब बातों का संहिता की धारा 24 से कोई लेना-देना नहीं है, जो कि लेनदारों की समिति की बैठकों के संबंध में है । दूसरी बात, समाधान वृत्तिक कोई समाधान योजना तैयार नहीं करता है जैसा कि खंड 24 के टिप्पण में उल्लेख किया गया है ; वह तो केवल वह जानकारी ज्ञापन तैयार करता है जो उन समाधान आवेदकों को दिया जाना है और जो इसके पश्चात् संहिता की धारा 30 के अधीन अपनी समाधान योजनाएं प्रस्तुत करते हैं । लेनदारों की समिति फिर जानकारी लेती है ताकि वे अपनी बैठक करने से पूर्व विभिन्न स्रोतों से निगमित ऋणी की वित्तीय स्थिति का निर्धारण कर सकें । अत:, खंड 24 पर टिप्पणों को समझना कठिन है । यदि यह मान लिया जाए कि खंड 24 पर टिप्पणों को ऐसी एक-पक्षीय कार्यवाही के रूप में पढ़ा जाए, जिसके द्वारा निदेशक-बोर्ड के तत्कालीन सदस्यों को केवल जानकारी प्रदान की जानी है तो हम यह पाते हैं कि संहिता की धारा 31(1) से यह स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन निदेशक-बोर्ड के ऐसे सदस्य, जो प्राय: प्रत्याभूतिदाता होते हैं, समाधान योजना में महत्वपूर्ण रूप से हितबद्ध होते हैं क्योंकि ऐसी समाधान योजना इसके पश्चात् उन पर बाध्यकारी होती है । ऐसी योजना से मूल ऋणी की ऋण की मात्रा कम हो सकती है और परिणामस्वरूप प्रत्याभूतिदाता की भी ऋण की मात्रा कम हो सकती है, या यह कम न भी हो । हो सकता है

समाधान योजना से कतिपय ऋणों की मात्रा कम हो जाए और अन्यों की नहीं और पश्चात्वर्ती प्रकार के ऋणों के प्रत्याभूतिदाता ऋण की संपूर्ण रकम के लिए अरक्षित हो जाएं । विनियमों से यह भी स्पष्ट होता है कि ये व्यक्ति समाधान योजनाओं में महत्वपूर्ण रूप से हितबद्ध होते हैं क्योंकि उनसे उन पर प्रभाव पड़ता है । इस प्रकार, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36 के अधीन, जानकारी ज्ञापन जो लेनदारों की समिति के प्रत्येक सदस्य और किसी संभावित समाधान आवेदक को दिया जाता है, उसमें उन प्रत्याभूतियों का ब्यौरा अंतर्विष्ट होगा जो निगमित ऋणी के ऋणों के संबंध में दी गई हैं (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया विनियमों का विनियम 36(2)(च) देखें) । भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमों के विनियम 37(घ) के अधीन भी, किसी समाधान योजना में किसी प्रत्याभूति हित की तुष्टि या उपांतरण के लिए उपबंध किया जा सकता है । प्रत्याभूति हित को संहिता की धारा 3(31) में निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है :–

> "**3. परिभाषाएं** - इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
>
> * * * *
>
> (31) "प्रतिभूति हित" से किसी संव्यवहार द्वारा किसी प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में सृजित या उसके लिए उपलब्ध सम्पत्ति में का अधिकार, हक या हित या कोई दावा अभिप्रेत है जो किसी बाध्यता के संदाय या पालन को प्रतिभूत करता है और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की किसी बाध्यता के संदाय या पालन को प्रतिभूत करने वाला बंधक, प्रभार, आडमान, समनुदेशन और विल्लंगम या कोई अन्य करार या ठहराव भी है :
>
> * * * *

इसके अंतर्गत निश्चित रूप से प्रत्याभूतिदाता भी आएगा जो तत्कालीन

निदेशक बोर्ड का सदस्य हो सकता है । इसके अतिरिक्त, विनियम 37(1)(च) के अधीन, समाधान योजना में लेनदारों को संदेय रकम में कमी करने के लिए उपबंध किया जा सकता है, और इससे भी किसी प्रत्याभूतिदाता के अधिकारों पर महत्वपूर्ण रूप से असर पड़ता है । अंतिम किंतु कम महत्वपूर्ण बात नहीं है, समाधान योजना, जो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश द्वारा अनुमोदित या नामंजूर की गई है, वह "प्रतिभागियों" को भेजनी होती है जिसमें तत्कालीन निदेशक बोर्ड के सदस्य सम्मिलित होंगे – भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमों का विनियम 39(5) देखें । स्पष्ट रूप से, ऐसी प्रति केवल प्रतिभागियों को भेजी जा सकती है क्योंकि वे ऐसी समाधान योजना के परिणाम से महत्वपूर्ण रूप से हितबद्ध होते हैं, और व्यथित व्यक्तियों के रूप में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध संहिता की धारा 61 के अधीन अपील अधिकरण में अपील फाइल कर सकते हैं । इससे बिल्कुल अलग, धारा 60(5)(ग) भी बहुत व्यापक है और तत्कालीन निदेशक बोर्ड के सदस्य को भी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को समावेदन करने का स्वतंत्र अधिकार है और उसका यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसी समाधान योजना संहिता की धारा 31 के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करती है तो उसे ऐसे व्यक्ति की अवश्य सुनवाई करनी चाहिए ।

13. यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक प्रतिभागी लेनदारों की समिति की प्रत्येक बैठक की सूचना प्राप्त करने का हकदार है । विनियम 21(3)(iii) के अनुसार, बैठक की ऐसी सूचना में बैठक की कार्यसूची के साथ बैठक में चर्चा किए जाने वाले मामले और मतदान किए जाने वाले मुद्दों के लिए सुसंगत सभी दस्तावेजों की प्रतियां अंतर्विष्ट होनी चाहिए । स्पष्ट रूप से, समाधान योजनाएं ऐसी बैठकों में चर्चा किए जाने वाले विषय हैं और तत्कालीन निदेशक बोर्ड के सदस्य "प्रतिभागी" हैं जो इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे । "दस्तावेज" अभिव्यक्ति एक व्यापक अभिव्यक्ति है जिसमें निश्चित रूप से समाधान योजनाएं भी सम्मिलित होंगी ।

14. विनियम 24(2)(ङ) के अधीन, समाधान वृत्तिक वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य और दृश्य साधनों के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले प्रत्येक प्रतिभागी की हाजिरी लेगा और वह रिकार्ड के लिए यह बताएगा कि उस व्यक्ति को बैठक के लिए कार्यसूची और सभी

सुसंगत सामग्री प्राप्त हुई है और इसमें उस बैठक में चर्चा की जाने वाली समाधान योजना भी सम्मिलित होगी । विनियम 35 से यह स्पष्ट होता है कि संहिता के अनुसार, समाधान वृत्तिक समिति के प्रत्येक सदस्य समाधान योजनाएं प्राप्त होने के पश्चात् ही उचित मूल्य और समाधान मूल्य प्रस्तुत करेगा । [विनियम 35(2) देखें] इसी तरह, विनियम 38(1)(क) के अधीन, समाधान योजना में यह एक विवरण शामिल होगा कि इसमें सभी हित धारकों के हित पर कैसे विचार किया गया है, और उपखंड 3(क) के अधीन, समाधान योजना में यह अभिदर्शित किया जाएगा कि इसमें व्यतिक्रम के कारण का समाधान है । अतः, इस विनियम में भी समाधान योजना तथा व्यतिक्रम के कारण में तत्कालीन निदेशक बोर्ड के महत्वपूर्ण हित को मान्यता दी गई है । इसमें यह उपबंध है कि तत्कालीन निदेशक लेनदारों की समिति को यह अभ्यावेदन कर सकते हैं कि व्यतिक्रम तत्कालीन प्रबंधतंत्र की वजह से नहीं हुआ है, अपितु अन्य ऐसे कारकों के कारण हुआ है जो उनके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं जिनके कारण ऋण का प्रतिदाय नहीं हो सका । अतः, संहिता तथा विनियमों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि तत्कालीन निदेशक बोर्ड के सदस्यों को उन समाधान योजनाओं में महत्वपूर्ण रूप से हितबद्ध होने के कारण, जिन पर लेनदारों की समिति की बैठकों में चर्चा की जा सकती है, उन "दस्तावेजों" के भाग के रूप में जो ऐसी बैठकों की सूचना के साथ प्रस्तुत की जानी होती है, ऐसी योजनाओं की प्रति अवश्य दी जानी चाहिए ।

15. उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थियों के इन तर्कों को, कि "समिति" और "प्रतिभागी" अलग-अलग रूप में प्रयुक्त हुए हैं जिसका परिणाम यह होगा कि समाधान योजनाएं तत्कालीन निदेशक बोर्ड के सदस्यों को दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, अवश्य नामंजूर किया जाना चाहिए । इसी प्रकार, विनियम, संहिता के अनुरूप होने के कारण, संहिता के उस सही आशय को स्पष्ट करते हैं जो उन धाराओं, जिन पर पहले ही विचार किया गया है, की स्पष्ट भाषा को पढ़ने से प्राप्त होता है । जहां तक गोपनीय जानकारी का संबंध है, यह स्पष्ट है कि समाधान वृत्तिक गोपनीयता बनाए रखने के लिए वृत्तिक तत्कालीन निदेशक बोर्ड के सदस्यों से एक वचनबंध ले सकते हैं, जैसा कि वर्तमान मामले के तथ्यों में लिया गया है । इस शक्ति का स्रोत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक) विनियम, 2016 के साथ

इसकी प्रथम अनुसूची का पैरा 21 है । यह वचनबंध अप्रकटन करार के प्ररूप में हो सकता है जिसमें जानकारी पूरी तरह से गोपनीय नहीं रखे जाने की दशा में समाधन वृत्तिक को क्षतिपूर्ति की जा सकती है ।

16. लेनदारों की समिति की ओर से धारा 21(2) के परंतुक के आधार पर दिया गया तर्क भी भ्रामक है । धारा 21(2) का परंतुक यह स्पष्ट करता है कि कोई निदेशक जो वित्तीय लेनदार भी है और जो निगमित ऋणी का संबंधित पक्षकार है, उसे लेनदारों की समिति की बैठक में प्रतिनिधित्व करने, भाग लेने या मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा । सभी निदेशक धारा 21(2) के परंतुक की विषय-वस्तु नहीं है, अपितु केवल वे निदेशक हैं जो निगमित ऋणी के संबंधित पक्षकार हैं । केवल ऐसे व्यक्तियों को ही लेनदारों की समिति की बैठकों में प्रतिनिधित्व करने का, भाग लेने का या मतदान करने का अधिकार नहीं होता है । अत: यह दलील, कि कोई निदेशक जो एक वित्तीय लेनदार है के समान मात्र निदेशक को भी दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार होता है, ऐसी दलील नहीं है जो धारा 21(2) के परंतुक पर आधारित हो । इसे ठीक प्रकार से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें केवल ऐसे वित्तीय लेनदार का उल्लेख किया गया है जो निगमित ऋणी का संबंधित पक्षकार है । इस कारण से, इस तर्क को भी नामंजूर किया जाना चाहिए ।

17. हम नवम्बर, 2015 की शोधन अक्षमता विधि समिति की रिपोर्ट का भी उल्लेख कर सकते हैं जिसमें यह कहा गया है :–

> "II संहिता लेनदारों और ऋणदाताओं के बीच जानकारी की समरूपता रखने में समर्थ बनाएगी ।
>
> * * * *
>
> 5. विधि अवश्य यह सुनिश्चित करे कि वह जानकारी, जो दिवाला और शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, उसे जब इसकी आवश्यकता हो, सृजित और उपलब्ध किया जाए ।
>
> 6. विधि अवश्य यह सुनिश्चित करे कि इस जानकारी तक उद्यम के सभी लेनदारों की पहुंच चाहे प्रत्यक्ष रूप से या विनियमित वृत्तिक के माध्यम से उपलब्ध की जाए ।
>
> 7. विधि ऐसे तृतीय पक्षकारों तक जो समाधान प्रक्रिया में

भाग ले सकते हैं, विनियमित वृत्तिक के माध्यम से इस जानकारी की पहुंच को अवश्य समर्थ बनाए ।"

पैरा II(7) से संहिता की धारा 24(3)(ख) का हेतु ठीक प्रकार से प्रतिबिम्बित होता है ।

18. हम यह उपदर्शित कर सकते हैं कि जो समय इन कार्यवाहियों में उपयोग हुआ है उसे निगमित ऋणी की समाधान प्रक्रिया की अवधि में से अवश्य अपवर्जित किया जाना चाहिए, जैसा कि **अरसेलोरमित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** बनाम **सतीश कुमार गुप्ता और अन्य**[1] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है । इन सभी मामलों में, अपीलार्थियों को लेनदारों की समिति को प्रस्तुत की गई सभी समाधान योजनाओं की प्रतियां इस निर्णय की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर दी जाएंगी । इन सभी मामलों में समाधान आवेदक फिर इसके पश्चात् लेनदारों की समिति की एक बैठक आयोजित करेगा, जिसमें अपीलार्थी प्रतिभागियों के रूप में सम्मिलित होंगे । लेनदारों की समिति फिर नए सिरे से समाधान योजनाओं पर विचार-विमर्श करेगी और अपेक्षित बहुमत से या तो उन्हें नामंजूर करेगी या उनका अनुमोदन करेगी और इसके पश्चात् संहिता और विनियमों में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा । इन सभी कारणों से, हमारा यह मत है कि याचिका और अपील अवश्य मंजूर की जानी चाहिए और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का निर्णय अपास्त किया जाना चाहिए ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

---

[1] 2018 की सिविल अपील सं. 9402-9405, 4 अक्तूबर, 2018 को विनिश्चित ।